उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 6

संख्या 918/9आ–6–2001–129यू0सी0/2001

लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम–1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा–5(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को यह अधिकार दिया जाता है कि धारा–5(1) के अन्तर्गत शासन द्वारा सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त न किये जाने की स्थिति में किसी उपयुक्त अधिकारी को अपने अन्य मौलिक उत्तरदायित्व के साथ इन पदों का दायित्व अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–918(1)/9आ–6–2001

प्रतिलिपि में उपरोक्त की प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक 12 जून, 2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–'ख' में प्रकाशित करायें तथा मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन को शीघ्र भेजें तथा नीचे पृष्ठांकित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित 5–5 प्रतियां अपने स्तर से सीधे उन्हें भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या 918 (2)/9आ–6–2001 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद। (5 प्रतियाँ)
3. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा। (5 प्रतियाँ)
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (5 प्रतियाँ)
5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (5 प्रतियाँ)
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (5 प्रतियाँ)
7. मुख्य नगर अधिकारी, फिरोजाबाद। (5 प्रतियाँ)
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश। (5 प्रतियाँ)
9. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। (5 प्रतियाँ)
10. आवास एवं नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग। (5 प्रतियाँ)

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव